न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 66 / 2023
अनवान : –

1. सलीम खां पुत्र नूर मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 19/12/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 191 की 0.2470 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सलीम खां पुत्र नूर मोहम्मद जाति कुम्हार (प्रजापति) सहवन से दर्ज हो गया है जबकि वादी का नाम व जाति सलीम खां पुत्र नूर मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान है इसलिए जाति के आगे प्रजापति लिख देने से वादी को अपूर्णीय क्षति होगी अतः न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है कि राजस्व रिकार्ड में वादी की जाति कुम्हार (प्रजापति) को दुरूस्त करवाकर कुम्हार मुसलमान करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी की जाति दुरूस्त कर देवे तो कुछ दिन तो आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया पटवार हल्का 22 एनटीआर द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की गई की इंतकाल मुताबिक बैयनामा नही हुआ है बैयनामा में वादी की जाति कुम्हार दर्ज है जबकि इंतकाल नम्बर 766 / 02.02.22 में जाति कुम्हार (प्रजापति) गलत दर्ज हो गयी है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस में अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी की सही जाति कुम्हार है जबकि राजस्व रिकार्ड में कुम्हार (प्रजापति) दर्ज होने से वादी को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और वादी अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग–उपभोग से वंचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:21:09 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 191 की 0.2470 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सलीम खां पुत्र नूर मोहम्मद जाति कुम्हार (प्रजापति) दर्ज है जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा में वादी की जाति कुम्हार दर्ज है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तथा पटवार हल्का द्वारा रिपोर्ट भी इस आशय की प्रेषित की गई है कि वादी की जाति मुताबिक बैयनामा राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही हुई है। अतः वाद वादी पटवारी रिपोर्ट एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी पटवार हल्का 22 एनटीआर की रिपोर्ट एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा चक 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 191 की 0.2470 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादी का नाम सलीम खां पुत्र नूर मोहम्मद जाति कुम्हार (प्रजापति) के स्थान पर सलीम खां पुत्र नूर मोहम्मद जाति कुम्हार के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच सलीम खां पुत्र नूर मोहम्मद जाति कुम्हार (प्रजापति) के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का सलीम खां पुत्र नूर मोहम्मद जाति कुम्हार (प्रजापति) के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम सलीम खां पुत्र नूर मोहम्मद जाति कुम्हार (प्रजापति) नाम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/12/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:21:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 66 / 2023

अनवान : –

1. सलीम खां पुत्र नूर मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादी**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0
प्रकरण संख्या 66 वर्ष 2023 निर्णय दिनांक

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी पटवार हल्का 22 एनटीआर की रिपोर्ट एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा चक 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता संख्या 191 की 0.2470 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादी का नाम सलीम खां पुत्र नूर मोहम्मद जाति कुम्हार (प्रजापति) के स्थान पर सलीम खां पुत्र नूर मोहम्मद जाति कुम्हार के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच सलीम खां पुत्र नूर मोहम्मद जाति कुम्हार (प्रजापति) के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का सलीम खां पुत्र नूर मोहम्मद जाति कुम्हार (प्रजापति) के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम सलीम खां पुत्र नूर मोहम्मद जाति कुम्हार (प्रजापति) नाम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक..19/12/23.....को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:21:09 IST
Reason: SelfAttested